

13. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011, दिनांक 16-12-2011—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

सरल क्रमांक	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	तहसील कार्यालय	चालू खसरा/खतौनी/नक्शे की प्रतिलिपि प्रदान किया जाना				
		(अ) सामान्य	15 कार्य दिवस	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
		(ब) तत्काल (निर्धारित फीस अदायगी)	5 कार्य दिवस	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	जिला कार्यालय	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंग हानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	कमिश्नर	सचिव राजस्व
3.	तहसील कार्यालय	(अ) शोध क्षमता प्रमाण पत्र का प्रदाय (5.00 लाख तक)	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
	अनुभाग कार्यालय	(ब) शोध क्षमता प्रमाण पत्र का प्रदाय (25.00 लाख तक)	45 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर	कमिश्नर
	जिला कार्यालय	(स) 25.00 लाख से ऊपर	45 कार्य दिवस	कलेक्टर	कमिश्नर	सचिव राजस्व
4.	पटवारी कार्यालय	किसान पुस्तिका	15 कार्य दिवस	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
5.	तहसील कार्यालय	किसान पुस्तिका डुप्लीकेट	90 कार्य दिवस	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
6.	xxx	xxx	xxx	***	***	***
² 7.	तहसील कार्यालय	अस्थाई जाति प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर
8.	तहसील कार्यालय	स्थाई जाति प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर	कमिश्नर
9.	तहसील कार्यालय	निवास प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011 दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 द्वारा विलुप्त। अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-10-2013 पृष्ठ 987 में प्रकाशित।

2. अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011 दिनांक 16 मई, 2013 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28-5-2013 पृष्ठ 427-428 में प्रकाशित।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	तहसील कार्यालय	आय प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर]
¹ 11.	तहसील कार्यालय	धारा 59 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र आवासीय कॉलोनी/परियोजना	30 कार्य दिवस	तहसीलदार	तहसीलदार/अधीक्षक धू-अभिलेख	अनुविभागीय अधिकारी
	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी	धारा 59 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/आवासीय कॉलोनी/सार्वजनिक परियोजना/ संस्थागत परियोजना	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर
	कार्यालय कलेक्टर	धारा 59 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/आवासीय कॉलोनी/सार्वजनिक परियोजना/ संस्थागत परियोजना, चिकित्सा सेवाये, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजना	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	कलेक्टर	आयुक्त]
² 12.	तहसील कार्यालय	भूमि का सीमांकन	3 माह	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर
13.	तहसील कार्यालय	(अ) अविवादित नामांतरण	3 माह	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर
		(ब) अविवादित नामांतरण	3 माह	ग्राम पंचायत	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	तहसील कार्यालय	(अ) अविवादित बंटवारा	3 माह	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
		(ब) अविवादित बंटवारा	3 माह	ग्राम पंचायत	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी]
15.	तहसील कार्यालय	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार पेड़ की कटाई की अनुमति	2 माह	ग्राम पंचायत अनुविभागीय स्तरीय समिति	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
16.	तहसील कार्यालय	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 241 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार पेड़ की कटाई की अनुमति	2 माह	ग्राम पंचायत अनुविभागीय स्तरीय समिति	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त]

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16-12-2011 को पृष्ठ 634(12-16) पर प्रकाशित]

1. अधिसूचना क्रमांक 4-124/सात-3/2011 दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा "सरल क्रमांक 15 एवं 16 जोड़ा गया"। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31 अगस्त, 2017 पृष्ठ 765-766 में प्रकाशित।

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

:: अधिसूचना ::

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24.06.2020

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, -

सरल क्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :-

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
15	कार्यालय कलेक्टर	नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट तक भूमि का आबंटन	120 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागायुक्त	सचिव, राजस्व
16	कार्यालय कलेक्टर	नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट तक अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन	120 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागायुक्त	सचिव, राजस्व
17	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी	व्यपवर्तन प्रकरणों का निराकरण (5000 वर्गफुट तथा 5000 वर्गफुट से अधिक)	90 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर	संभागायुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(Handwritten Signature)

(एम.डी. दीवान)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग